

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 79] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 30, 1979/चैत्र 9, 1901
No. 79] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 30, 1979/CHAITRA 9, 1901

इस भाग में धिन्ने पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate pagging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार निबंधन

सार्वजनिक सूचना सं. 20-आईटीसी(पीएल)/79

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1979

विषय : आयात-नीति

[सं. आईपीसी/3/25/79].—अप्रैल, 1979-मार्च, 1980 के लिए आयात-नीति 1 मई,
1979 को घोषित की जाएगी।

2. तदनुसार यह निश्चय किया गया है कि :—

- (1) 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाली खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत की
मर्चों का आयात करने के लिए वर्तमान नीति की व्यवस्थाएं 30 अप्रैल, 1979
तक लागू रहेंगी।

- (2) 30 अप्रैल, 1979 तक किए गए सभी निर्यात वर्तमान नीति के अनुसार आयात प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे ;
 - (3) वर्तमान नीति के अनुसार ऑटोम लाइसेंस 30 अप्रैल, 1979 तक जारी किए जाते रहेंगे ;
 - (4) आपाती पूंजी के आयात के लिए वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी ;
 - (5) सखीबद्ध अभिकरण पूर्व पंजीकरण के अनुसार सम्बद्ध मद्धों का सम्भरण जारी रखेंगे ; और
 - (6) इस अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थितियों में किसी सामान को आयात करने की जरूरत होगी तो वह मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को आवेदन कर सकता है ।
3. संविदाओं के पंजीकरण से संबंधित वर्तमान नीति की व्यवस्थाएं पंजीकृत निर्यातकों को 30 अप्रैल, 1979 तक उपलब्ध होती रहेंगी ।

का. वें. शेपाद्रि,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 20-ITC(PN)/79

New Delhi, the 30th March, 1979

Subject : IMPORT POLICY

[F. No. IPC/3/25/79].—The Import Policy for the period April, 1979-March, 1980 will be announced on the 1st May, 1979.

2. Accordingly, it has been decided that :—

- (i) The provisions of the current policy for import of items under Open General Licence which expire on 31st March, 1979 will continue upto 30th April, 1979 ;
- (ii) All exports made upto 30th April, 1979 will qualify for Import Replenishment licences in terms of the current policy ;
- (iii) Advance Licences will continue to be granted upto 30th April, 1979, in accordance with the current policy ;
- (iv) The existing provisions for the import of emergency spares will continue ;
- (v) Canalising agencies will continue to supply the respective items in accordance with the earlier registrations ; and
- (vi) Persons, who need to import any requirements under extra-ordinary circumstances during this period, may apply to the Chief Controller of Imports and Exports New Delhi.

3. The provisions of the current policy relating to registration of contracts will continue to be available to Registered Exporters upto 30th April, 1979.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports and Exports